फा.सं **10-3/2013-प्रशि0**

भारत सरकार

Government of India

केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो

CENTRAL TRANSLATION BUREAU

राजभाषा विभाग:गृह मंत्रालय

Department of Official Language : Ministry of Home Affairs

पर्यावरण भवन, 8 वां तल, बी-ब्लाक,

Paryavaran Bhawan, 8th Floor, B-Block,

केंद्रीय कार्यालय परिसर, लोदी रोड. नई दिल्ली-110003

C.G.O. Complex, Lodi Road, New Delhi-110003

दिनांक:

सेवा में,

विषय: केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा संचालित 21 दिवसीय विशेष अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के आयोजन के संबंध में ।

महोदय,

केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो अन्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के साथ-साथ 21 **दिवसीय अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन भी करता है । यह पाठ्यक्रम संबंधित कार्यालयों में ही आयोजित किया जाता है । यदि कोई कार्यालय केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा आयोजित किए जाने वाले इस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की सुविधा का लाभ उठाना चाहता है तो उसे इस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए ऐसे लगभग** 15-20 **अधिकारियों/कर्मचारियों को नामित करना होता है जिन्होंने बी.ए. तक की परीक्षा हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों विषयों के साथ उत्तीर्ण की हो । इस प्रकार का प्रशिक्षण आयोजित करवाने वाले कार्यालय को प्रशिक्षण के लिए एक हॉल, ब्लैक बोर्ड, चॉक और अन्य आवश्यक लेखन सामग्री की व्यवस्था करनी होती है । यह प्रशिक्षण पाठ्यक्रम** 21 **कार्यदिवसों का होता है और आयोजित कराने वाले कार्यालय को इसके लिए कोई शुल्क आदि नहीं देना पड़ता है अर्थात् यह नि:शुल्क होता है ।**

2. इस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में व्याख्यान एवं प्रशिक्षण देने के लिए केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो से 2-3 अधिकारियों को बारी-बारी से भेजा जाता है । स्वाभाविक है कि इन अधिकारियों को स्टेशन से लाने-ले-जाने की और उनके ठहरने आदि की व्यवस्था भी संबंधित कार्यालय को करनी होती है ।

3. केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो आपके कार्यालय को एक महत्वपूर्ण कार्यालय समझते हुए यह महसूस करता है कि आपके कार्यालय में यदि इस प्रकार का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किया जाए तो **इससे आपके कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को अनुवाद और राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन की और अधिक सकारात्मक जानकारी प्राप्त होगी जो आपकी संस्था के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी ।**

अत: आपसे अनुरोध है कि यदि आप इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित करवाना चाहते हैं तो तत्काल सूचित करें ताकि ब्यूरो तत्संबंधी आवश्यक कार्रवाई कर सके।

भवदीय,

(डा. एस.एन. सिंह)

निदेशक

फोन/फैक्स - 011-24362025